

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
अहिंसा सर्किल, आर.के.पुरम् सेक्टर-ए, कोटा-324010
E-mail: stp.kota.rj@gmail.com phone no. 0744- 2470022, 0744- 2470077

क्रमांक: केटीजेड/1631/125/आरजेआई/20

दिनांक: 18-1-24

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका,
रामगंजमण्डी।

विषय:- आवेदक श्री विमल कुमार मीना व श्री रामविलास बाबत राजस्व ग्राम-खैराबाद, तह0-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा स्थित ख.सं. 3265/763 रकबा 0.36 है0, ख.सं. 763 रकबा 0.90 है0, ख.सं. 761 रकबा 0.04 कुल किता 04 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन व योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक न.पा.रा/भूमि./2024/3820 दिनांक 12.01.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राजस्व ग्राम-खैराबाद, तह0-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा स्थित ख.सं. 3265/763 रकबा 0.36 है0, ख.सं. 763 रकबा 0.90 है0, ख.सं. 761 रकबा 0.04 कुल किता 04 कुल रकबा 1.30 है0 भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन व योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत इस कार्यालय की तकनीकी राय चाही गई है।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो व गूगल लोकेशन, नक्शाट्रेस के आधार पर आवेदित भूमि का का भू-उपयोग रामगंजमण्डी मास्टर प्लान-2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ निर्धारित हैं। संलग्न ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार आवेदित भूमि को पहुंचमार्ग उत्तर दिशा में स्थित ख. सं. 3790/764, 3791/764 पर अनुमोदित योजना की सड़कों से उपलब्ध होना दर्शाया गया है जिसके अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2023 दिनांक 25.07.2023 के द्वारा तकनीकी राय दी गयी है। संलग्न गूगल लोकेशन मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है। प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के साथ प्रेषित योजना मानचित्र सर्वेयर, कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका, वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका व पटवारी-खैराबाद द्वारा प्रमाणित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन व योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु निर्णयार्थ सक्षम समिति के समक्ष निम्न शर्तों के अधीन प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की जाती है:-

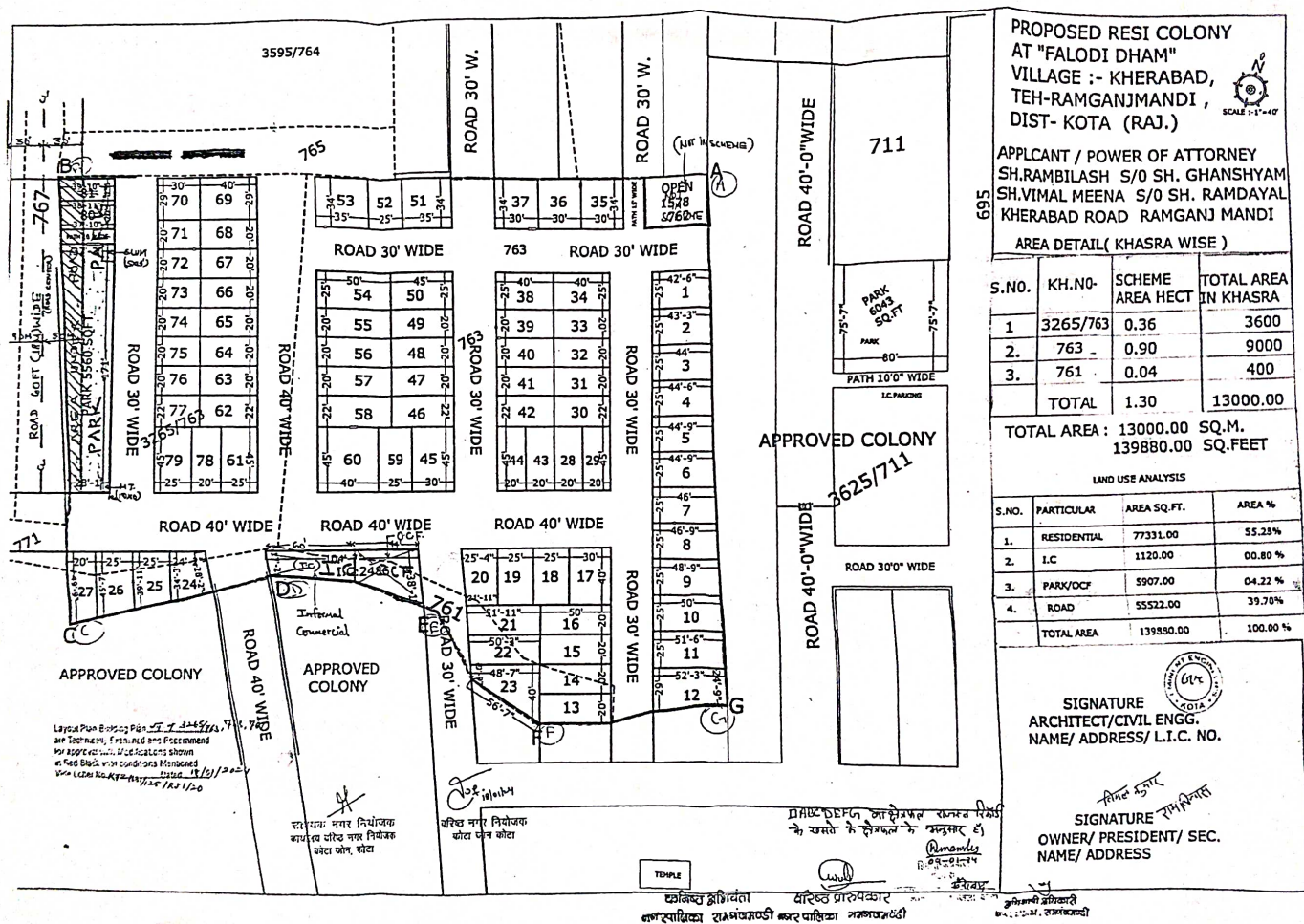
1. प्रेषित ले-आउट प्लान के अनुसार आवेदित भूमि को पहुंचमार्ग उत्तर दिशा में स्थित ख. सं. 3790/764, 3791/764 पर अनुमोदित योजना की सड़कों से उपलब्ध होना दर्शाया गया है जिसके अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2023 दिनांक 25.07.2023 के द्वारा तकनीकी राय दी गयी है जिस पर अन्तिम निर्णय ले-आउट प्लान समिति द्वारा किया जाना है। उक्त प्रस्ताव अनुसार आवेदित भूमि पर पहुंचमार्ग की मौके पर सुनिश्चितता स्थानीय स्तर पर किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जानी होगी।
2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित ख.सं. 767 किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। उक्त रास्ते का मार्गाधिकार नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुऐ न्यूनतम 60 फीट रखे जाने की सुनिश्चितता स्थानीय स्तर पर की जानी होगी।
3. आवेदित भूमि से यदि विद्युत लाईन गुजर रही है तो उक्त लाईन की विद्युत क्षमता अनुसार सुरक्षित गलियारा छोड़ा जाना अथवा लाईन को अन्यत्र शिफ्ट किया जाना सुनिश्चित करावें। सुरक्षित गलियारे (सेफ्टी जोन) में किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
4. यदि आवेदित भूमि के आस-पास अन्य अनुमोदित आवासीय योजना स्थित है अथवा भविष्य में प्रस्तावित हो तो उनकी सड़को की निरन्तरता इस योजना से बनी रहे, यह सुनिश्चित करावें।
5. योजना में इन्फोरमल वाणिज्यिक हेतु प्रस्तावित भूखण्ड पर नियमानुसार इन्फोरमल वाणिज्यिक दुकानों का प्रावधान किया जाना होगा।
6. संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाये गये संशोधन अनुसार योजना सीमा के अन्दर निकाय स्तर पर पुनः क्षेत्रफल विशलेषण कर सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. प्रकरण में प्रेषित ले-आउट प्लान में कोई राजकीय/प्रतिबंधित भूमि होने पर उस क्षेत्र का नियमन नहीं किया जावेगा। इस भू-भाग में पट्टा विलेख जारी नहीं किया जायेगा।
8. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010, अधिसूचना दिनांक 10.08.2020, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 आदि के प्रावधानों तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान जारी आदेश दिनांक 20.09.2021, 28.09.2021 व इसके निरन्तरता में जारी आदेशों आदि के प्रावधानों आदि व केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों/आदेशों/परिपत्रों की सुनिश्चितता की जानी होगी।

9. प्रकरण में मानचित्र में दर्शाये अनुसार शॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के प्रावधानों के तहत ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेंद्रीकरण एवं प्रसंस्करण की सुनिश्चितता किये जाने हेतु टाउनशिप पॉलिसी-2010 के सम्बन्धित प्रावधानों, राज्यादेश दिनांक 04.04.2019 आदि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
 10. नगर पालिका सक्षम स्तर पर निर्णय लेते समय भूमि से सम्बन्धित स्वामित्व/कानूनी पहलू/भवन विनियम/राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। सक्षम अनुमति प्रदान करने से पूर्व भूमि के क्षेत्रफल, सीमाओं एवं प्रस्तावों के अनुसार भूके पर भूमि की उपलब्धता की जांच नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों द्वारा की जानी है। साथ ही प्रेषित योजना मानचित्र के प्रस्तावों व मौका स्थिति में विरोधाभास होने पर या अन्य कोई संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित योजना मानचित्र के अनुमोदन हेतु तकनीकी राय इस कार्यालय से ली जानी होगी।
 11. प्रकरण में आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 अनुसार सैटवैक आदि पैरामीटर्स रखे जाकर निर्माण किये जाने से पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी होगी।
 12. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु तकनीकी अभिशंका है तथा इस अभिशंका को आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
 13. इस कार्यालय की तकनीकी अभिशंका के अतिरिक्त यदि अन्य किसी विभाग के अनापत्ति/अनुमोदन प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो उक्त प्रमाण पत्र/अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से लिया जाना सुनिश्चित किया जावें।
 14. उक्त योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु इस कार्यालय की तकनीकी स्वीकृति डी.बी. सिविल रिट याचिका 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी आदेशों/निर्णयों से प्रभावित होने अथवा नहीं होने की सुनिश्चितता करावें।
 15. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा किसी सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी। इस संबंध में आवश्यक परीक्षण निकाय स्तर पर किया जाये।
- संलग्न: योजना मानचित्र की प्रमाणित प्रति।

भवदीय,


18/01/24
(अनुपम शर्मा)

वरिष्ठ नगर नियोजक,
कोटा जोन, कोटा।



कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला-कोटा (राज0)

प्रारूप - 11
(नियम 7 (1) देखिए)

मामला सं. 35 (105) और वर्ष 2024 /

दिनांक.....

1. श्री रामबिलास पुत्र श्री घनश्याम जाति मीणा निवासी मण्डली, विमल कुमार पुत्र श्री रामदयाल जाति मीणा निवासी हेमलखेड़ी, श्री टीकम मित्तल पुत्र श्री पदमचंद जैन, श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री महावीर अग्रवाल, वासु मित्तल पुत्र श्री संजय मित्तल निवासीगण रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

2. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं०	क्षेत्रफल
रामगंजमण्डी जिला कोटा	खैराबाद	3265 / 763	0.36 है०
		763	0.90 है०
		761	0.04 है०
		कुल 1.30 हैक्टियर	

3. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
4. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दरतावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार को रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
5. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 3265/763, 763, 761 की रकबा 0.36, 0.90, 0.04 है० भूमि (हैक्टियर/बीघा) की ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
6. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
7. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी। अगर उक्त प्रकरण में किसी भी तरह की विवादास्पद स्थिति भविष्य में उत्पन्न हुई तो प्रकरण स्वतः निरस्तनीय होगा, और इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/खातेदार की होगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक..... को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका रामगंजमण्डी

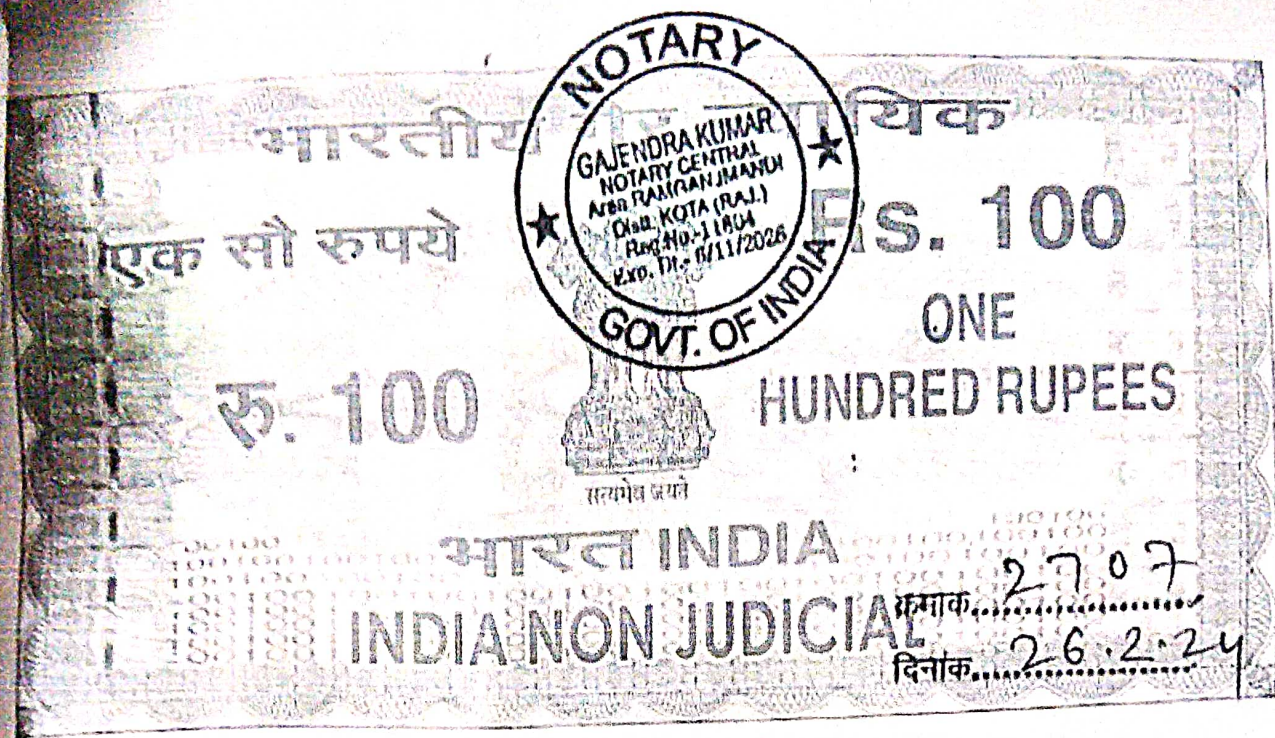
दिनांक.....

क्रमांक :- 4712

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :-

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण नगरपालिका रामगंजमण्डी।
2. तहसीलदार, रामगंजमण्डी तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री रामबिलास पुत्र श्री घनश्याम जाति मीणा निवासी मण्डली, विमल कुमार पुत्र श्री रामदयाल जाति मीणा निवासी हेमलखेड़ी, श्री टीकम मित्तल पुत्र श्री पदमचंद जैन, श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री महावीर अग्रवाल, वासु मित्तल पुत्र श्री संजय मित्तल निवासीगण रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान।

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका रामगंजमण्डी



राजस्थान RAJASTHAN

BP 730363

सहमति-पत्र

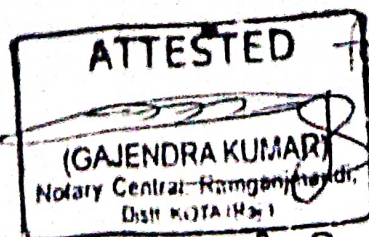
कार्यालय उपाधीवाशिकारी
रामगंजमंडी (कोटा)

हम कि. 1. विमल कुमार पुत्र रामदयाल जी, आयु- वर्ष, 2. रामविलास पुत्र घनश्याम जी, आयु- वर्ष, जाति-गीणा, 3. टिकम मिततल पुत्र पदम चंद जी, आयु- वर्ष, जाति-महाजन जयें मुख्यारआम विमल कुमार पुत्र रामदयाल जी साकिन-रामगंजमंडी, जिला-कोटा, राजस्थान के रहने वाले हैं।

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि हमारे द्वारा स्वीकृत करवाई गई आवासीय योजना का आंतरिक विकास दो वर्षों में पूर्ण करवा देंगे तथा जलदाय विभाग, विधुत विभाग एवं नगर पालिका का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत कर देंगे। इसके लिए योजना के भूखण्डों का 12.5 प्रतिशत भूखण्ड नगर पालिका के पक्ष में रहन कर रहे हैं। उक्त भूखण्डों का विवरण निम्न प्रकार है:- 23, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, एवं IC भूखण्ड हमारे द्वारा रहन रखे गये हैं। दो वर्ष के अन्दर उपरोक्त विभागों से अनापत्ति प्रामाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्डों को रहन मुक्त करवा लेंगे।

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य हमारे स्वज्ञान से सही एवं सत्य है इश्वर सच बोलने में हमारी मदद करे।

दिनांक:-26.02.2024



विमल कुमार रामविलास

हस्ताक्षर शपथ गृहीत

26.2.24

कार्यालय नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला-कोटा (राज.)

क्रमांक : न.पा.रा/भूमि/2024/

723

दिनांक.....

3/6/24

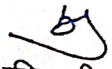
श्री विमल कुमार पुत्र श्री रामदयाल
निवासी ग्राम हेमलखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी।

विषय :

आवासीय योजना ग्राम खैराबाद के खसरा नम्बर 3265/763, 763, 761 की अनुमोदित आवासीय योजना में आन्तरीक विकास पेटे रहन 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के संबंध में पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित पत्र से आप द्वारा 12.5 प्रतिशत रहन भूखण्डों के संबंध में पत्र जारी करने का निवेदन किया है। आप द्वारा आवासीय योजना ग्राम खैराबाद के खसरा नम्बर 3265/763, 763, 761 की अनुमोदित आवासीय योजना में आन्तरीक विकास पेटे आप द्वारा भूखण्ड संख्या 23, 26, 27, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 एवं आईसी भूखण्ड पालिका में रहन रखे है।

पत्र सूचनार्थ प्रेषित है।


अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका रामगंजमण्डी

कार्यालय नगरपालिका रामगंजमण्डी जिला-कोटा (राज०)

क्रमांक : न.पा.रा./ले-आउट/2024/ 4745

दिनांक 7/3/24

बैठक कार्यवाही विवरण

(दिनांक 05.03.2024)

नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग राज० सरकार जयपुर अधिनियम 2012 (90क) अन्तर्गत गठित ले-आउट प्लान समिति की बैठक नगरपालिका कार्यालय के अधिशाषी अधिकारी कक्ष में एजेन्डा दिनांक 05.03.2024 को विषयों के निस्तारण हेतु प्रातः 11:30 बजे समिति के अध्यक्ष श्री देवीलाल सैनी, अध्यक्ष नगरपालिका रामगंजमण्डी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया।

नाम	पद
1. श्री देवीलाल सैनी	(अध्यक्ष)
अध्यक्ष, नगरपालिका रामगंजमण्डी	
2. श्री दीपक नागर	(सदस्य सचिव)
अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रामगंजमण्डी	
3. श्री तरुण कुमार लहरी	(सदस्य)
सहायक अभियंता नगरपालिका रामगंजमण्डी	
4. श्री हिमांशु अग्रवाल	(सदस्य)
कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका रामगंजमण्डी	
5. श्री जयनारायण मीणा	(सदस्य)
सहायक नगर नियोजक न.नि.वि.कोटा	
6. श्री विवेक प्रियदर्शी	(सदस्य)
वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका रामगंजमण्डी	

एजेन्डा न. 01 राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम खैराबाद के खसरा नम्बर 3937/581 के रकबा 0.57 है०, 582 के रकबा 0.41 है०, 583 के रकबा 0.01 है०, 584 के रकबा 0.01 है०, 586 के रकबा 0.05 है०, 3940/3256 के रकबा 0.82 है०, 3257/583 के रकबा 0.01 है०, 3942/3258 के रकबा 0.04 है०, 3259/584 के रकबा 0.01 है० कुल किता 09 कुल 1.93 है० भूमि की आवासीय योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया। अधिशाषी अधिकारी (सदस्य सचिव) द्वारा समिति को बताया कि उल्लेखित आवासीय योजना शांति कुंज गायत्री मंदिर के रास्ते हनुवतखेड़ा मार्ग पर स्थित है जिसका प्रकरण इस कार्यालय में वांछित पत्रादी के साथ प्राप्त होने पर तकनीकी अनुशंषा एवं राय हेतु कार्यालय नगर नियोजक विभाग कोटा को प्रेषित किया गया। फलस्वरूप प्रकरण में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा जोन कोटा के पत्रांक केटीजेड/1631/119/आरजेआई/40 दिनांक 16.11.2023 से तकनीकी राय प्रेषित कराई गई है। राय अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग रामगंजमण्डी मास्टर प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ निर्धारित है तथा राय अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग गायत्री मंदिर के रास्ते हनुवतखेड़ा सड़क से होते हुए गायत्री विहार कॉलोनी पूर्व खसरा नम्बर 587 से उपलब्ध हो रहा है, जो ले-आउट प्लान से स्पष्ट है। योजना में राजस्व विभाग से खसरा सीमाएँ प्रमाणित है। योजना में तहसीलदार महोदय, रामगंजमण्डी को पत्र भेजकर प्रारूप 6 में भूमि के संबंध में रिपोर्ट ली गई है तथा लोकसूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय सामाचार पत्र में करवाया गया है जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अधिशाषी अधिकारी द्वारा बताए गए उपरोक्त विवरण के पश्चात् ले-आउट समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम खैराबाद के खसरा नम्बर 3937/581 के रकबा 0.57 है०, 582 के रकबा 0.41 है०, 583 के रकबा 0.01 है०, 584 के रकबा 0.01 है०, 586 के रकबा 0.05 है०, 3940/3256 के रकबा 0.82 है०, 3257/583 के रकबा 0.01 है०, 3942/3258 के रकबा 0.04 है०, 3259/584 के रकबा 0.01 है० कुल किता 09 कुल 1.93 है० भूमि की आवासीय योजना का तकनीकी राय अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया की राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही खातेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत अनुदेशी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार नियमानुसार राशि ली जाकर पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेन्डा न. 02 राजस्व ग्राम खैराबाद के खसरा नम्बर 3265/763 के रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 763 के रकबा 0.90 है०, खसरा नम्बर 761 के रकबा 0.04 है० कुल किता 03 कुल रकबा 1.30 है० भूमि की आवासीय योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया।

ले आउट प्लान समिति

85



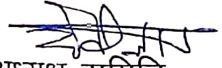
अधिशायी अधिकारी (सदस्य सचिव) द्वारा समिति को बताया कि प्रकरण इस कार्यालय में वांछित पत्रादी के साथ प्राप्त होने पर तकनीकी अनुशंषा एवं राय हेतु कार्यालय नगर नियोजक विभाग कोटा को प्रेषित किया गया। फलस्वरूप प्रकरण में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा जोन कोटा के पत्रांक केटीजेड/1631/125/आरजेआई/20 दिनांक 18.01.2024 से तकनीकी राय प्रेषित कराई गई है। राय अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग रामगंजमण्डी मास्टर प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ निर्धारित है तथा राय अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 3790/764 व 3791/764 की अनुमोदित योजना की सड़क से होते हुए उपलब्ध हो रहा है, जो ले-आउट प्लान से स्पष्ट है। योजना में राजस्व विभाग से खसरा सीमाएँ प्रमाणित हैं। योजना में तहसीलदार महोदय, रामगंजमण्डी को पत्र भेजकर प्रारूप 6 में भूमि के संबंध में रिपोर्ट ली गई है तथा लोकसूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय सामाचार पत्र में करवाया गया है जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अधिशायी अधिकारी द्वारा बताए गए उपरोक्त विवरण के पश्चात् ले-आउट समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम खैराबाद के खसरा नम्बर 3265/763 के रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 763 के रकबा 0.90 है०, खसरा नम्बर 761 के रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 03 कुल रकबा 1.30 है० क्विटर भूमि की आवासीय योजना का तकनीकी राय अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया की राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही खातेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत अनुदेशी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार नियमानुसार राशि ली जाकर पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा न. 03 राजस्व ग्राम कुदायला के खसरा नम्बर 952/145 के रकबा 0.9950 है० क्विटर भूमि की आवासीय योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया। अधिशायी अधिकारी (सदस्य सचिव) द्वारा समिति को बताया कि प्रकरण इस कार्यालय में वांछित पत्रादी के साथ प्राप्त होने पर तकनीकी अनुशंषा एवं राय हेतु कार्यालय नगर नियोजक विभाग कोटा को प्रेषित किया गया। फलस्वरूप प्रकरण में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा जोन कोटा के पत्रांक केटीजेड/1631/127/आरजेआई/73 दिनांक 20.02.2024 से तकनीकी राय प्रेषित कराई गई है। राय अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग रामगंजमण्डी मास्टर प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ निर्धारित है तथा राय अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग रामगंजमण्डी-सुकेत विद्यमान मुख्य सड़क के दक्षिण दिशा में मौके पर 30 फीट व 40 फीट की सड़को से होते हुए उपलब्ध हो रहा है, जो ले-आउट प्लान से स्पष्ट है। योजना में राजस्व विभाग से खसरा सीमाएँ प्रमाणित हैं। योजना में तहसीलदार महोदय, रामगंजमण्डी को पत्र भेजकर प्रारूप 6 में भूमि के संबंध में रिपोर्ट ली गई है तथा लोकसूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय सामाचार पत्र में करवाया गया है जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

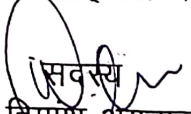
अतः अधिशायी अधिकारी द्वारा बताए गए उपरोक्त विवरण के पश्चात् ले-आउट समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम कुदायला के खसरा नम्बर 952/145 के रकबा 0.9950 है० क्विटर भूमि की आवासीय योजना का तकनीकी राय अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया की राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही खातेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत अनुदेशी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार नियमानुसार राशि ली जाकर पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

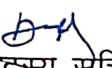
इसके पश्चात् सधन्यवाद बैठक का समापन हुई।


अध्यक्ष समिति
(श्री देवीलाल सैनी)
अध्यक्ष नगरपालिका रामगंजमण्डी


सदस्य
(श्री जयनारायण मीणा)
सहायक न०नि० न.नि.वि.कोटा

सदस्य
श्री तरुण कुमार लहरी
सहायक अभियंता न.पा.रा.


सदस्य
(श्री हिमांशु अग्रवाल)
कनिष्ठ अभियंता न.पा.रा.


सदस्य सचिव
(श्री दीपक नागर)
अधिशायी अधिकारी न.पा.रा.


सदस्य
(श्री विवेक प्रियदर्शी)
वरिष्ठ प्रारूपकार न.पा.रा.